[2019] 10 एस. सी. आर. 541

/

शिव प्रकाश मिश्रा बनाम.

उत्तर प्रदेश और एक और राज्य (2019 की आपराधिक अपील No.1105)

/

23 जुलाई, 2019

[आर**.** भानुमति और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.319-पावर अंडर-एक्सर्साइज ऑफ-शिकायत दर्ज अंतर्गत गई कि प्रतिवादी नं।2-एस. सी. एस. अन्य अभियुक्तों के साथ। एस. ए. एस., डी. एस., एल. के. एस. और आर. एस. ने एक गैरकानूनी सभा की और अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता के घर आए और पुरानी दुश्मनी के कारण उसे गाली देना शुरू कर दिया-अपीलकर्ता के बड़े भाइयों, एस. एल. एम. और एस. के. एम. ने आरोपी को गाली देने से रोकने की कोशिश की-इस पर, आरोपी एस. ए. एस. ने एस. के. एम. को मारने के इरादे से पिस्तौल से गोली चलाई-दूसरे प्रतिवादी पर आरोप लगाया गया था कि उसने एस. एल. एम. पर घर में बनी पिस्तौल के बट से हमला किया था-एस. एल. एम. ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया-केवल तीन आरोपी व्यक्तियों अर्थात् एस. ए. एस., डी. एस. और एल. के. एस. के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया-आगे की जांच पर, आरोपी आर. एस. के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र-अपीलकर्ता ने यू/एस.319, सी. आर. पी. सी. ने दूसरे प्रतिवादी को अभियुक्त के रूप में शामिल करने के लिए-खारिज-उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका-खारिज-अपील पर अभिनिर्धारित कियाःपावर यू/एस।319 सी. आर. पी. सी. का प्रयोग विचारण विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को विचारण का सामना करने के लिए अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए किया जा सकता है यदि यह साक्ष्य से प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है-किसी व्यक्ति को अभियुक्त व्यक्ति के रूप में समन करने के लिए प्रयुक्त प्रमाण का मानक यू/एस।319 दंड प्रक्रिया संहिता अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप तैयार करने के लिए नियोजित प्रमाण के मानक से अधिक है-पावर यू/एस।319 <आई. डी.
1.....।

/

/

/

/

/

/

541 ए.

542 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 10 एस. सी. आर.

अपीलार्थी ने विरोधाभासी बयान दिए-अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य प्रथम दृष्टया प्रतिवादी नं.2 घटना में-नीचे की अदालतें उन्हें एक आरोपी के रूप में बुलाने से इनकार करने में सही थीं-हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनाया गया-दंड संहिता, 1860-एस. एस.147, 148, 149, 302, 307, 323 और 504।

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया **:1.1** धारा **319,** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्ति का प्रयोग निचली विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे के दौरान किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए किया जा सकता है**,** यदि यह साक्ष्य से प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है।धारा **319** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत किसी व्यक्ति को आरोपी व्यक्ति के रूप में बुलाने के लिए इस्तेमाल किया गया सबूत का प्रमाण आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने के लिए इस्तेमाल किए गए सबूत के मानक से अधिक है।धारा **319** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्ति का प्रयोग विरल रूप से किया जाना चाहिए।**[**पैरा **8,9] [547**-सी-डी**]**

/

/

1.2 गवाहों के विरोधाभासी बयानों और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए**,** निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि प्रतिवादी संख्या **2** को आरोपी के रूप में तलब नहीं किया जा सकता है।एफ़**.** आई**.** आर**. 06.09.2013** पर **18.15** बजे दर्ज की गई थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफ**.** आई**.** आर**.** में दूसरे प्रत्यर्थी का नाम उल्लिखित है और स्पष्ट कार्य का श्रेय उसे दिया जाता है।जाँच के दौरान**,** जाँच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए जिन्होंने कहा कि घटना के समय प्रतिवादी संख्या **2** घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे।जाँच अधिकारी ने उसी कार्यालय में काम करने वाले एक एस**.** के**.** जी**.** और एस**.** जी**.** का बयान भी दर्ज किया जिसमें प्रतिवादी संख्या **2** कार्यरत था जिसने कहा था कि घटना के समय प्रतिवादी संख्या **2** कार्यालय में था।तदनुसार**,** जब **19.09.2014** पर पहला आरोप पत्र दायर किया गया था तो प्रतिवादी संख्या **2** का नाम हटा दिया गया था।आरएस के खिलाफ पूरक आरोप पत्र **15.10.2014** पर दायर किया गया था।यद्यपि एफ**.** आई**.** आर**.** में दूसरे प्रतिवादी के नाम का उल्लेख किया गया था**,** लेकिन जाँच के

दौरान यह पाया गया कि दूसरा प्रतिवादी घटना के स्थान पर मौजूद नहीं था और जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर, उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।अपीलार्थी ने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है

/

/

/

/

543

शिव प्रकाश मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ए

तब और वहाँ याचिका दायर करें।निचली अदालतों ने प्रतिवादी संख्या **2** को अभियुक्त के रूप में तलब करने से इनकार कर दिया था।हालाँकि**, 22.10.2016** पर अपनी मुख्य-जाँच में**,** पीडब्लू**-1** ने दूसरे प्रतिवादी की उपस्थिति के बारे में बताया और उसे स्पष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया कि उसने मृतक एस**.** एल**.** एम**.** को घर में बनी पिस्तौल के बट से पीटा था**, 28.02.2017** पर**,** पीडब्लू**-1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि प्रतिवादी संख्या **2** उस समय ड्यूटी पर था।**[**अनुच्छेद **12,13] [548-**एच**; 549-**ए-एच**] 1.3** विचारण के दौरान अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया घटना में प्रतिवादी संख्या **2** की संलिप्तता को नहीं दर्शाते हैं और उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या **2** को अभियुक्त के रूप में समन करने से इनकार करने में उचित ठहराया गया था।उच्च न्यायालय और निचली विचारण न्यायालय ने समवर्ती रूप से कहा कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री वर्तमान मामले में दूसरे प्रतिवादी को आरोपी के रूप में बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं है।हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनाया गया है।निचली विचारण न्यायालय विधि के अनुसार **2015** के एस**.** टी**. No.26** में मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगी।इस अपील में उच्चतम न्यायालय और पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का अर्थ केवल क्रमशः अपील और पुनरीक्षण पर विचार करने के उद्देश्य से किया जाएगा और इसे मुख्य मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। **[**पारस **14-16] [550-D-F]**

/

/

/

मनदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य

/

(2014) 3 एससीसी **92:[2014] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1-**अनुसरण किया गया।

बृजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य

(2017) 7 एससीसी 706:[2017] 3 एस. सी. आर. 374; कैलाश बनाम.

राजस्थान राज्य और एक अन्य **(2008) 14** एस**.** सी**.** सी**. 51:**

[2008] 3 एस**.** सी**.** आर**. 702-**निर्भर।संदर्भित निर्णय

/

[2017] 3 एस**.** सी**.** आर**. 374** पैरा **4 [2014] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1** के बाद पैरा **6 [2008] 3** एस**.** सी**.** आर**. 702** पैरा **9** पर निर्भर था।

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2019 की आपराधिक अपील संख्या 1105

2018 के आवेदन यू/एस 482 नंबर 36010 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 04.12.2018 से

/

544

/

[2019] 10 एस सी आर।

अरविंद कुमार शुक्ला, सुश्री रीतू शर्मा, निहाल अहमद, कुणाल यादव, सुश्री नीना शुक्ला, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, निकिलेश आर., आकाश चौधरी, मनीष शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

आर**.** भानुमति**,** जे**.**

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के आवेदन No.36010 में पारित दिनांक 04.12.2018 के आदेश से उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है जिससे दूसरे प्रतिवादी सुभाष चंद्र शुक्ला को धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत अभियुक्त के रूप में समन करने से इनकार कर दिया गया है।

/

3. जिन संक्षिप्त तथ्यों के कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैं:- शिकायतकर्ता-शिव प्रकाश मिश्रा (पीडब्लू-1) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 06.09.2013 पर लगभग 09.00 बजे, प्रतिवादी No.2-Subhash चंद्र शुक्ला अन्य अभियुक्तों के साथ। शशिंद्र शुक्ला, देवेंद्र शुक्ला, लक्ष्मीकांत शुक्ला और राहुल शुक्ला ने एक गैरकानूनी सभा की और शिकायतकर्ता के घर आए और पुरानी दुश्मनी के कारण उसे गाली देना शुरू कर दिया।शिकायतकर्ता के बड़े भाई संगम लाल मिश्रा और सुनील कुमार मिश्रा, जो विपरीत घर में रह रहे थे, बाहर आए और आरोपी को गाली देने से रोकने की कोशिश की।इस पर आरोपी शशिंद्र शुक्ला ने सुनील कुमार मिश्रा को मारने के इरादे से अपने हाथ में पिस्तौल से गोली चला दी।अन्य अभियुक्तों ने संगम लाल मिश्रा को लाठी और डंडों से पीटा, जबकि दूसरे प्रतिवादी पर आरोप है कि उसने मृतक संगम लाल मिश्रा के सिर पर घर में बनी पिस्तौल (कट्टा) के बट से जोरदार हमला किया था।मृतक संगम लाल मिश्रा और सुनील कुमार मिश्रा घायल हो गए और नीचे गिर गए।उपचार के दौरान संगम लाल मिश्रा ने दम तोड़ दिया।इस घटना को पीडब्लू-2 आनंद कुमार मिश्रा, देव नारायण मिश्रा और शिकायतकर्ता ने देखा था।शिव कुमार मिश्रा-शिकायतकर्ता (पीडब्लू-1) ने उसी दिन 18.15 घंटे यानी 06.09.2013 पर पुलिस स्टेशन, मेजा में शिकायत दर्ज कराई।शिकायत के आधार पर, केस क्राइम No.328A/2013 में पांच अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 147,148,149,302,307,323 और 504 के अंतर्गत सुभाष चंद्र शुक्ला, शशिंद्र शुक्ला, राहुल शुक्ला, लक्ष्मीकांत शुक्ला और देवेंद्र शुक्ला। मामले की जाँच ए थी

/

/

/

/

/

संबंधित पुलिस स्टेशन की पुलिस द्वारा लिया गया।सरकारी आदेश के अनुसार, मामले की जांच C.B.C.I.D. C.B.C.I.D को स्थानांतरित कर दी गई थी, जिसने जांच शुरू की, दूसरे प्रतिवादी के कार्यालय में व्यक्तियों की संख्या की जांच की और केवल तीन आरोपी व्यक्तियों-शशिंद्र शुक्ला, देवेंद्र शुक्ला और लक्ष्मी कांत शुक्ला के खिलाफ 19.09.2014 पर आरोप पत्र No.13/2014 दायर किया। आगे की जाँच के बाद, 15.10.2014 पर, आरोपी राहुल शुक्ला के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र No.13A/2014 दायर किया गया था।

/

4. मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था और सत्र परीक्षण No.1329/2014 में आरोप विरचित किए गए थे। मुकदमा अगस्त, 2016 में या उसके आसपास शुरू किया गया था।गवाहों के नाम शिव प्रकाश मिश्रा (पीडब्लू -1), आनंद कुमार मिश्रा (पीडब्लू-2) और सुनील कुमार मिश्रा (पीडब्लू-3) की जांच की गई।03.10.2017 पर, पीडब्लू-1-शिव प्रकाश मिश्रा ने दूसरे प्रतिवादी-सुभाष चंद्र शुक्ला को एक आरोपी के रूप में शामिल करने के लिए धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक याचिका दायर की।निचली विचारण न्यायालय ने 28.08.2018 के आदेश के माध्यम से धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत दायर आवेदन को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि शिव प्रकाश मिश्रा (पीडब्लू-1) के बयान और दूसरे प्रतिवादी की भूमिका के बारे में आनंद कुमार मिश्रा (पीडब्लू-2) के बयान में विरोधाभास हैं।निचली विचारण न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावित आरोपी सुभाष चंद्र शुक्ला की जिला मिर्जापुर में कार्यस्थल पर उपस्थिति की पुष्टि की गई है और शिकायतकर्ता के बयान से भी इसकी पुष्टि की गई है और घटना स्थल पर दूसरे प्रतिवादी की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है।द.

/

/

/

निचली विचारण न्यायालय ने बृजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राज्य पर भरोसा रखा।

राजस्थान (2017) 7 एससीसी 706।उच्च न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 को अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है।पीड़ित होने के कारण, शिकायतकर्ता हमारे सामने है।

/

5. अपीलार्थी-शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से सभी पाँच अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया है और दूसरे प्रतिवादी का नाम केस क्राइम No.328A/2013 में प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मृतक के व्यक्ति पर हमले के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों का सकारात्मक प्रत्यक्ष संस्करण होने के बावजूद, जांच अधिकारी ने आरोपी के बयान के आधार पर उसका नाम आरोप पत्र से हटा दिया है जो सेतु निगम, मिर्जापुर के कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता के रूप में काम कर रहा है।यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने गवाहों पीडब्लू 1 से 3 के बयान पर विचार नहीं करने में गलती की, जिन्होंने अपने साक्ष्य में

/

/

प्रत्यक्ष कार्य के लिए विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 को जिम्मेदार ठहराया है।यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहा कि उस स्थान की दूरी जहां दूसरा प्रतिवादी काम कर रहा था, केवल 30 किलोमीटर थी. और इस तरह, उच्च न्यायालय ने बिजेंद्र पर भरोसा रखने में गलती की।

सिंह।

6. उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उचित जांच के बाद, C.B.C.I.D ने तीन आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् शशेंद्र शुक्ला, देवेंद्र शुक्ला और लक्ष्मी कांत शुक्ला के खिलाफ 19.09.2014 पर आरोप पत्र दायर किया है और राहुल शुक्ला के खिलाफ 15.10.2014 पर पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय में कार्यरत गवाहों की संख्या की जांच से, जांच अधिकारी ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 2 घटना में शामिल नहीं था और इसलिए, अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ मामला था

/

/

गिरा दिया।मंदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 3 एस. सी. सी. 92 और बृजेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य

/

राजस्थान (2017) 7 एस. सी. सी. 706, यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्ति का उपयोग केवल सम्मोहक कारणों के अस्तित्व पर किया जाना चाहिए।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक आदेश केवल इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि कुछ सबूत रिकॉर्ड पर आए हैं जिसमें उस व्यक्ति को शामिल किया गया है जिसे तलब करने की मांग की गई है।

/

7. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर आक्षेपित आदेश और अन्य सामग्रियों का अवलोकन किया है।

8. विवाद के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता उल्लेख करना आवश्यक है।-

/

"319. अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति

अपराध का दोषी होना।– (1) जहाँ, किसी अपराध की किसी जांच या मुकदमे के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है।

/

…….

/

547

शिव प्रकाश मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [आर. भानुमती, जे.] ए.

/

(4) जहां न्यायालय उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है, तो -

(क) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और गवाहों की फिर से सुनवाई की जाएगी।

(ख) खंड (क) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मामला इस तरह आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा व्यक्ति एक अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या मुकदमा शुरू किया गया था। "

/

धारा 319 Cr.P.C को पढ़कर, यह स्पष्ट है कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्ति का प्रयोग निचली विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे के दौरान किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए किया जा सकता है, यदि यह साक्ष्य से प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है।

/

9. धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत किसी व्यक्ति को अभियुक्त व्यक्ति के रूप में बुलाने के लिए प्रयुक्त प्रमाण का मानक अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप तैयार करने के लिए नियोजित प्रमाण के मानक से अधिक है।धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।जैसा कि आयोजित किया गया है

/

कैलाश बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य (2008) 14 एस. सी. सी. 51 में, धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।खंड में मुख्य शब्द हैं "यह साक्ष्य से प्रकट होता है"।"कोई भी व्यक्ति "।"उसने कोई अपराध किया है। "इसलिए, यह नहीं है कि केवल इसलिए कि कुछ गवाहों ने ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया है या उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ सामग्री है, न्यायालय द्वारा धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत विवेकाधिकार का उपयोग किया जाएगा। "

/

10. जैसा कि संविधान पीठ ने प्रदीप सिंह में पैरा (105) में अभिनिर्धारित किया है, धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्ति विवेकाधीन है और इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए जो निम्नानुसार हैः-

/

“105. धारा 319 सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है।इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हैं।इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है।केवल वहाँ जहाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस साक्ष्य होता है

/

/

कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग आकस्मिक और घुड़सवार तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

106. इस प्रकार, हमारा मानना है कि हालांकि न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, आवश्यक रूप से प्रतिपरीक्षा के आधार पर परीक्षण नहीं किया जाता है, लेकिन इसके लिए उसकी संलिप्तता की केवल संभावना की तुलना में बहुत अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है।जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि यदि सबूत का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि होगी।इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग

करने से बचना चाहिए। सी. आर. पी. सी. की धारा 319 में यह प्रावधान करने का उद्देश्य है कि "साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जो अभियुक्त नहीं है"

/

/

उन शब्दों से स्पष्ट है जिनके लिए ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है

अभियुक्त के साथ "।उपयोग किए गए शब्द ऐसे नहीं हैं जिनके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है।इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत कार्य करने वाली न्यायालय के लिए आरोपी के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। "

/

11. बृजेंद्र सिंह में उपरोक्त दृष्टिकोण का पालन निम्नानुसार किया गया थाः- “13. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, प्रदीप सिंह मामले (2014) 3 एस. सी. सी. 92 में प्रतिपादित कुछ सिद्धांतों को दोहराया जा सकता हैः.....हालाँकि, चूंकि यह धारा 319 सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत न्यायालय को दी गई एक विवेकाधीन शक्ति है और एक असाधारण भी है, इसलिए इसका उपयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियाँ ऐसा करने की आवश्यकता होती है।संतुष्टि की डिग्री उस डिग्री से अधिक है जो उन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के समय आवश्यक है जिनके संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया था।केवल वहाँ जहाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस साक्ष्य मिलता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।इसका प्रयोग आकस्मिक या घुड़सवार तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।प्रथम दृष्टया जिस राय का गठन किया जाना है, उसके लिए उसकी संलिप्तता की केवल संभावना से अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है। "

/

/

/

12. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, वर्तमान मामले पर विचार करते हुए, गवाहों के विरोधाभासी बयानों और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 को अभियुक्त के रूप में तलब नहीं किया जा सकता है।

/

/

केस क्राइम No.328A/2013 में एफ़. आई. आर. 06.09.2013 पर 18.15 बजे दर्ज की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरे प्रतिवादी का नाम एफ़. आई. आर. में उल्लिखित है और स्पष्ट कार्य का श्रेय उसे दिया जाता है।अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जाँच के दौरान जाँच अधिकारी ने गवाहों राजेश कुमार, निजामुद्दीन, नंद किशोर, त्रिभुवन सिंह, बिंटू राय और नागेश्वर कुमार और अन्य सात गवाहों के बयान दर्ज किए, जिन्होंने कहा है कि घटना के समय प्रतिवादी संख्या 2 घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे।जाँच अधिकारी ने शिव कुमार गुप्ता और संदीप गुप्ता का बयान भी दर्ज किया है जो उसी कार्यालय में काम कर रहे हैं जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 कार्यरत था, जिसने कहा था कि घटना के समय प्रतिवादी संख्या 2 कार्यालय में था।गवाहों से दर्ज किए गए बयानों के आधार पर, जांच अधिकारी ने पाया कि दूसरा प्रतिवादी पुल निगम, लखनऊ की पुल निर्माण इकाई में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात था और वह आमतौर पर वहां रहता था और 06.09.2013 पर वह अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहता था और अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करता था।जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर जाँच अधिकारी ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि घटना की तारीख और समय पर सुभाष चंद्र शुक्ला घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे।तदनुसार, सुभाष चंद्र शुक्ला का नाम तब हटा दिया गया जब 19.09.2014 पर पहला आरोप पत्र दायर किया गया था।राहुल शुक्ला के खिलाफ पूरक आरोप पत्र 15.10.2014 पर दायर किया गया था।यद्यपि एफ. आई. आर. में दूसरे प्रतिवादी के नाम का उल्लेख किया गया था, लेकिन जाँच के दौरान यह पाया गया कि दूसरा प्रतिवादी घटना के स्थान पर मौजूद नहीं था और जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर, उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।यह ध्यान दिया जाए कि अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ने तब और वहाँ कोई विरोध याचिका दायर नहीं की है।जाँच के दौरान, जब यह पाया गया कि अभियुक्त घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, तो निचली अदालतों ने प्रतिवादी संख्या 2 को अभियुक्त के रूप में तलब करने से इनकार कर दिया।

/

/

/

/

/

13. जैसा कि निचली विचारण न्यायालय ने बताया, पीडब्लू-1 की जाँच 22.10.2016 से 02.08.2017 तक विभिन्न तिथियों पर की गई थी और नौ सुनवाई तिथियों पर जाँच की गई थी। हालाँकि, 22.10.2016 पर अपनी मुख्य परीक्षा में, पीडब्लू-1 ने सुभाष चंद्र शुक्ला की उपस्थिति के बारे में कहा है और उसे खुलेआम काम करने के लिए कहा है कि उसने मृतक संगम लाल मिश्रा को घर में बनी पिस्तौल के बट से पीटा था, 28.02.2017 पर, पीडब्लू-1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि सुभाष चंद्र शुक्ला उस समय ड्यूटी पर थे।पीडब्लू-1 के कथन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

/

/

550

/

[2019] 10 एस सी आर।

“.....सुभाष चंद्र शुक्ला घर में नहीं रहते हैं।वह सेवा/नौकरी करता है।उसी समय जिग्ना पुलिस थाना जिला मिर्जापुर में वह पुल बना रहा था और इसी वजह से वह वहां ड्यूटी पर था।

जैसा कि निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने बताया, पीडब्लू-1 ने सुभाष चंद्र शुक्ला की उपस्थिति के संबंध में अपनी जांच के दौरान विरोधाभासी बयान दिए हैं।

/

14. आनंद कुमार मिश्रा (पीडब्लू-2) से पूछताछ की गई है, जिसे चश्मदीद गवाह बताया गया है। पीडब्लू-2 सहायक शिक्षक (शिक्षा मित्र) के रूप में काम कर रहा है।उनका कार्य समय 07.00 सुबह से 12.00 दोपहर तक है।पीडब्लू-2 ने हालांकि कहा कि वह घटना की तारीख यानी 06.09.2013 पर छुट्टी पर था, लेकिन निचली विचारण न्यायालय ने घटना के समय उसकी उपस्थिति के बारे में संदेह व्यक्त किया।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीडब्लू-2 एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा है और पीडब्लू-2 क्रॉस मामले में सह-अभियुक्त है, निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने दूसरे प्रतिवादी की उपस्थिति के बारे में पीडब्लू-2 के साक्ष्य के बारे में संदेह व्यक्त किया।मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया घटना में प्रतिवादी संख्या 2 की संलिप्तता को नहीं दर्शाते हैं और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को आरोपी के रूप में बुलाने से इनकार करने को उचित ठहराया।

/

/

15. उच्च न्यायालय और निचली विचारण न्यायालय ने समवर्ती रूप से कहा कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री वर्तमान मामले में दूसरे प्रतिवादी को आरोपी के रूप में बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनाया गया है और अपील खारिज की जा सकती है।16. नतीजतन, अपील खारिज कर दी जाती है।निचली विचारण न्यायालय विधि के अनुसार 2015 के एस. टी. No.26 में मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगी।हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अपील में इस न्यायालय और पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का अर्थ केवल अपील और पुनरीक्षण पर विचार करने के उद्देश्य से किया जाएगा और इसे मुख्य मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

/

/

/

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

/